मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड

"तालीम घर" इस्लामी गेट, शाहजहांनाबाद, भोपाल - 462001

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्र / म.प्र.म.बो. / मदरसा–सेल / सचिव / 113

भोपाल, दिनांक 21-2-2019

प्रति,

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
पुस्तक भवन, बी–विंग अरेरा हिल्स,
भोपाल (म.प्र.)।

विषय :– मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त मदरसों को डाईस कोड आवंटित करने बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं सदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत एक निगमित इकाई है जिसका गठन 16 सितम्बर 1998 को विधानसभा में अधिनियम क्रमांक 31 / 1998 पारित कर किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य परंपरागत मदरसों को आधुनिक शिक्षा की मुख्यधारा लाकर राज्य एवं केन्द्र सरकार की मदरसा शिक्षा संबंधी स्कीमों से जोड़ना है। बोर्ड अधिनियम, 1998 के अधीन बनाये गये नियम 8–2 (क) का उपयोग कर मदरसों को आधुनिक विषय पढ़ाने पर संबद्धता प्रदान करता है। वर्तमान में बोर्ड से 2489 मदरसे संबद्धता प्राप्त है जिनमें 1,81,011 (एक लाख इक्यासी हज़ार ग्यारह) विद्यार्थी अध्ययनरत है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि मदरसा शिक्षा के संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई स्कीमें (अनुदान, मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण एवं गणवेश इत्यादि) चलाई जा रही है परंतु शासन की नई गाईड लाईन के अनुसार यह सुविधाऐं केवल उन्ही मदरसों को उपलब्ध करई जा रही है जो मदरसे डाईस कोड प्राप्त कर शिक्षा पोर्टल पर अपडेट है। तत्संबंध में लेख है कि अधिकांश मदरसों के पास डाईस कोड उपलब्ध है परंतु कई नवीन / ग़ैर अनुदानित मदरसों को डाईस कोड आवंटित नही है। इसका मुख्य कारण मदरसों को इस सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त नही हो पा रही है। जिला शिक्षा केन्द्रों पर यह सुविधा किन तिथियों में उपलब्ध रहती है? क्या आवश्यक दस्तावेज़ मदरसा संचालक को तैयार करना है इत्यादि संबंधी स्पष्ट जानकारी / निर्देशिका की उपलब्धता का अभाव है। कृपया विदित हों कि मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम 1998 के अधीन नियम क्रमांक 8–2 / ज में भी (मदरसा शिक्षा के संबंध में केन्द्रीय और राज्य सरकार की स्कीमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना) बोर्ड को शक्ति प्रदान की गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि बोर्ड से सबंद्धता प्राप्त समस्त मदरसों को प्रदेश स्तर पर विशेष अभियान के तहत डाईस कोड उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससें केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा मदरसा शिक्षा अंतर्गत प्रदान की जा रही समस्त सुविधाओं का लाभ बोर्ड से संबद्धता प्राप्त मदरसों को मिल सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार राजपत्र की प्रति।

सचिव
म.प्र. मदरसा बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र. / म.प्र.म.बो. / मदरसा–सेल / सचिव / 114

भोपाल, दिनांक 21-2-2019

प्रतिलिपी :–

1. संचालक, लोक शिक्षण म.प्र., चैतक ब्रिज, गौतम नगर, भोपाल।
2. संचालक, मध्यान्ह भोजन परिषद, सतपुड़ा भवन, द्वितीय तल, भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक संचालक, म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त मदरसा संचालकों की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि मदरसे का डाईस कोड अनिवार्यतः प्राप्त करें।

सचिव
म.प्र. मदरसा बोर्ड
भोपाल